

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

बनाम ..... हलीम खान

किस्म मुकदमा ..... दावा ..... मु.नं. २५० वर्ष २०२५

दिनांक	आज्ञा - पत्र
23 $\frac{12}{25}$	<p>वकील वादीगण द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक से तलब कर पत्रावली नियत तिथि 22.01.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर</p>
22 $\frac{01}{26}$	<p>पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली मत आदेशानुसार दिनांक 20 <math>\frac{01}{26}</math> को पेश हो।</p>
30/1/26	<p><del>पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपखण्ड पत्रावली का इन्फॉर्मेशन पत्रावली के कर्तव्य क्लॉक के अंतर्गत प्राप्त की गयी।</del>  <del>के निर्दिष्ट तिथि के अंतर्गत पत्रावली को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय हाजा दे कर देना है।</del>  <del>के यहाँ इस्सामत पत्रावली को जिला मजिस्ट्रेट को पेश कर देना है।</del></p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर</p>

